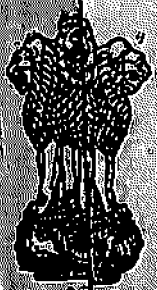

संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

[illegible]वार, तिथि २८ जनवरी, १९५३ ।

ol. II. No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official [illegible]eport.

[illegible]nesday, the 28th January, 1953.

अधीक्षक, राजकी[illegible]ालय, बिहार,

मूल्य—६ आ[illegible]
Price—A[illegible]s 6.

बिहार विधान सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २९ जनवरी, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

LATE COMING OF THE S. D. O., BHAGALPUR, TO HIS IJLAS.

*3. Shri **RAGHUNANDAN PRASAD KUMAR** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the S. D. O., Sadr Bhagalpur, does not come to his Ijlas in time ;

(*b*) whether it is a fact that he daily comes to his Ijlas after 3 P.M. and sits generally till 7 P.M. and thereby causes much harassment to the lawyers and litigant public ;

(*c*) whether it is a fact that the Bar Library of Bhagalpur has passed a resolution condemning this irregular habit of the S. D. O. ;

(*d*) if the answers to clauses (*a*), (*b*) and (*c*) be in the affirmative do Government propose to issue direction to the S. D. O. to come to his Ijlas in time ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(ए) इसका उत्तर ना है।

(बी) इसका भी उत्तर ना है।

(सी) बात इस प्रकार की है। जब मौजूदा एस० डी० ओ०, भागलपुर ने सबडिवीजन जोआएन किया तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल काम सुबह में किया करते थे और कोर्ट का काम दोपहर में करते थे। कभी-कभी इसका नतीजा यह होता था कि शाम तक काम करना पड़ता था। अगस्त, १९५२ में बार लाइब्रेरी ने प्रस्ताव पास किया जिसमें यह बतलाया गया था कि इस प्रथा से मुकदमा के लिये आये हुए लोगों को असुविधा होती है। उस प्रस्ताव में यह प्रार्थना की गयी थी कि कोर्ट आवर्स में मुकदमे का काम किया जाय। इसके बाद से एस० डी० ओ० ठीक समय पर कोर्ट का काम किया करते हैं।

(डी) यह सवाल नहीं उठता है।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में 'हो' नाच कराने के लिये सिंहभूम जिला के अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध।

*५। श्री शुभनाथ देवगम—क्या मुख्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सिंहभूम जिले के जिला अधिकारीगण गणतंत्र (रिपब्लिक) दिवस, १९५३ के अवसर पर, दिल्ली में 'हो' नाच-गान दिखाने के लिये नाचने वालों का एक दल तैयार कर रहे हैं ;

श्री रामानन्द तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब मैंने सवाल दिया था तो उसके बाद इसकी जांच कराने की कोशिश नहीं की गयी थी?

अध्यक्ष—यह तो जवाब से मालूम होता है कि इसकी जांच नहीं की गई है।

श्री लाल हेम्ब्रोम तथा श्री बरियार हेम्ब्रोम का सन् १९४२ के आन्दोलन में भाग लेना।

*१५। श्री बाबु लाल टुडु—क्या मुख्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या जिला संथाल परगना, दुमका सदर सबडिवीजन, थाना शिकारीपारा के अन्तर्गत मौजा सारादाहा के रहने वाले श्री लाल हेम्ब्रोम और बरियार हेम्ब्रोम दोनों सहोदर भाइयों ने १९४२ के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था और बरियार हेम्ब्रोम को विदेशी फौज के सिपाहियों ने बहुत तंग किया और उनके बायें हाथ में गोली भी लगी थी, इन दोनों को जेल का दंड भी मिला था और इन दोनों के पिता का भागलपुर जेल में देहान्त भी हुआ था;

(ख) क्या यह बात सही है कि श्री लाल हेम्ब्रोम और बरियार हेम्ब्रोम इन दोनों भाइयों की सम्पत्ति सरकार द्वारा लूटी भी गयी थी;

(ग) क्या यह बात सही है कि श्री लाल हेम्ब्रोम और श्री बरियार हेम्ब्रोम ने राजनैतिक पीड़ित फार्म में दर्खास्त दी थी और स्पेशल आफिसर ने इसकी जांच भी की थी पर राजनैकि पीड़ित सहायता उन्हें नहीं मिली, यदि हां तो क्यों?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) उत्तर 'हां' है।

(ख) उत्तर 'हां' है।

(ग) जहां तक प्रश्न के पहले हिस्से का सम्बन्ध है उत्तर 'हां' है। जहां तक दूसरे हिस्से का सम्बन्ध है श्री लाल हेम्ब्रोम को दो हजार रुपये मिले। पहले एक हजार रुपया मिला था और पीछे बिहार प्रोविन्शियल पौलिटिकल सफरर्स रिलीफ कमिटी की सिफारिश पर एक हजार रुपया और मिला। श्री बरियार हेम्ब्रोम को २५० रुपये मिले हैं। उनको अपने शरीर पर चोट लगी थी इस आन्दोलन के समय में। इनका केस रिव्यू बोर्ड फिर से देखेगी चूंकि जो सिफारिश बिहार प्रोविन्शियल पौलिटिकल सफरर्स रिलीफ कमिटी और स्पेशल अफसर ने की है, दोनों में अन्तर है।

श्री बाबू लाल टुडु—क्या यह सही है कि दोनों की दर्खास्त एक ही थी।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—नहीं, दोनों की दर्खास्त अलग-अलग थी। पहले एक हजार रुपया दिया गया श्री लाल हेम्ब्रोम को फिर दूसरी बार एक हजार दिया गया और श्री बरियार हेम्ब्रोम को २५० रुपया दिया गया। मगर चूंकि बिहार प्रोविन्शियल पौलिटिकल सफरर्स रिलीफ कमिटी और स्पेशल अफसर की सिफारिशों में अन्तर है इसलिये ऐसे रिव्यू बोर्ड, जो बनने वाली है, में भेजा जाने वाला है।

श्री धनराज शर्मा—श्री लाल हेम्ब्रोम को दो हजार रुपये मिले तो मैं जानना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष को ज्यादा से ज्यादा रकम कितनी मिली?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इसके लिये एक स्वतंत्र सवाल चाहिये। मेरे जानते पांच हजार से ज्यादा अभी तक किसी को नहीं मिला है।

श्री धनराज शर्मा—मैं जानना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष को पांच हजार और श्री लाल हेम्ब्रोम को दो हजार मिले वह किस आधार पर?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—गवर्नमेंट ने विचार किया और चूंकि बिहार प्रोविन्शियल पोलिटिकल सफरर्स रिलीफ कमिटी और स्पेशल अफसर की सिफारिशें एक थीं इसलिये मिल गया और चूंकि दोनों की सिफारिशों में अन्तर था इसलिये श्री बरियार हेम्ब्रोम को २५० रुपये मिले।

श्री धनराज शर्मा—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि १९४२ साल में श्री लाल हेम्ब्रोम संथालियों को अपने नेतृत्व में लेकर अंग्रेजी सरकार के बरखिलाफ जेहाद संथाल परगना में खड़ा किये थे।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—उत्तर 'हां' है।

श्री धनराज शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जिन लोगों को पांच हजार रुपये मिले हैं उनसे १९४२ साल में काम करने वाले राजनैतिक काम श्री लाल हेम्ब्रोम का बहुत ज्यादा है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—ईट इज ए मैटर ऑफ ओपीनियन।

श्री धनराज शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि १९४२ की क्रांति जो लाल हेम्ब्रोम के नेतृत्व में हुई उसके चलते श्री लाल हेम्ब्रोम का सर्वस्व अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों ने लूट लिया था?

अध्यक्ष—यह तो मालूम ही है।

श्री धनराज शर्मा—जी हां, मालूम है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बरियार हेम्ब्रोम को सिपाहियों ने बहुत तंग किया और उनके बायें हाथ में गोली भी लगी तो उनको कम रकम क्यों मिली?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैंने तो उत्तर दिया कि उत्तर स्वीकारात्मक है।

श्री धनराज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जिनका नोह भी नहीं टूटाया गया उनको तो ५,००० मिला, फिर बरियार हेम्ब्रोम को २,००० ही क्यों मिला? उनको बेशी क्षति हुई तो रकम कम मिली। तो क्या जिनको बेशी क्षति हुई उनको कम रुपया मिलेगा और जिनको कम क्षति हुई उनको बेशी रुपया मिलेगा? ऐसा ही कुछ आभास मिलता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे होता है? क्योंकि जैसी जिसको क्षति हो उसी हिसाब से राजनैतिक पीड़ितों को सहायता मिलनी चाहिए।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—५,००० की सिफ़ारिश तो कमिटी ने भी नहीं की।

श्री धनराज शर्मा—अच्छा तो दूसरा प्रश्न यह है। कुछ ऐसे लोगों को सहायता मिली है जिन्होंने कोई काम नहीं किया। यह कैसे हुआ?

अध्यक्ष—शांति, शांति। यह सवाल नहीं उठता है।

श्री धनराज शर्मा—यह सवाल इसलिये उठता है कि मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि.....

अध्यक्ष—वह तो जहां तक आप खींच कर रखना चाहेंगे रखेंगे।

श्री धनराज शर्मा—मैं जानना चाहता हूं कि जिनको सरकार ने ५,००० रुपया दिया क्या उनकी कम क्षति हुई, उनको कम नुकसान हुआ?

अध्यक्ष—यह तो राय की बात है।

श्री धनराज शर्मा—राय की नहीं, क्षति की बात है। जिनका नोह भी नहीं दुगाया गया उनको कैसे इतनी रकम मिली?

अध्यक्ष—शांति-शांति। माननीय सदस्य ५,००० रुपया वाले का नाम बतावें तभी उस आधार पर उत्तर मिल सकता है। नहीं तो बिना आधार के क्या उत्तर मिल सकता है?

श्री धनराज शर्मा—अच्छा, तो क्या सरकार मिहरबानी करके बतायेगी कि ५,००० रुपये की रकम कुछ लोगों को मिली है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इसके लिए स्वतंत्र सूचना चाहिए।

श्री धनराज शर्मा—क्या रेवेन्यू मिनिस्टर साहब मिहरबानी करके बतायेंगे कि ५,००० रुपये की रकम जिन लोगों को मिली है उनमें से किसी का नाम उनको याद है? (हंसी)

अध्यक्ष—शांति, शांति। यह सवाल नहीं उठता।

Shri KRISHNA GOPAL DAS : Sir, it appears from the answer of the Hon'ble Minister that both the brothers equally suffered.....

SPEAKER : "Equally suffered"?

Shri KRISHNA GOPAL DAS : Yes, Sir, that was the answer.

SPEAKER : How's that ; I did not hear that.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : No, Sir, they did not suffer equally. I think when I said that the case of Barjar Hembrom will be considered by the Review Board, that ought to have satisfied the hon'ble member.

श्री घनराज शर्मा—अच्छा दूसरा प्रश्न।

अध्यक्ष—अब सवाल कैसे उठता है?

श्री घनराज शर्मा—अभी तो बरियार हेम्ब्रोम का सवाल चल ही रहा है। (हंसी)

अध्यक्ष—नहीं, अब श्री रामानन्द तिवारी पूरक पूछेंगे।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि श्री पेशर हुसेन को क्या ५,००० रुपये की रकम मिली है? (हंसी)

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता।

श्री सिदुई हेम्ब्रोम—क्या सरकार को मालूम है कि लाल हेम्ब्रोम से बरियार हेम्ब्रोम ने बड़ी सैक्रीफाइस की और दोनों एक ही साथ थे जब कि बरियार हेम्ब्रोम को गोली लगी तो क्या वजह है कि लाल हेम्ब्रोम को ज्यादा दिया गया?

अध्यक्ष—वह तो कमिटी देखे गी।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—बरियार हेम्ब्रोम के बारे में मैंने कहा, "हिज केस विल बी रि-इक्जामिन्ड बाई दी रिव्यू बोर्ड।"

राजनीतिक-साहाय्य कोष से सहायता।

*१७। श्री हरिवंश नारायण सिंह—क्या मुख्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) जिन राजनीतिक पीड़ितों के नाम प्रान्तीय राजनीतिक कमिटी ने सिफारिश की थी उनमें से कुछ लोगों को तुरन्त सहायता मिल गई और शेष लोगों को अब तक नहीं मिली, इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या अब तक जिन लोगों को कुछ नहीं मिल सका उसको कुछ मिलेगा या नहीं, यदि हां, तो कब तक?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—रिलीफ ग्रांट केवल उन्हीं केसेज में नहीं दिया गया है जिनमें या तो बिहार पोलिटिकल सफरर्स रिलीफ कमिटी या स्पेशल आफिसर ने ग्रांट की कोई सिफारिश नहीं की थी। रिव्यू बोर्ड इन सभी केसेज पर फिर से विचार करेगी। कई केसेज में बिहार पोलिटिकल सफरर्स रिलीफ कमिटी ने सिफारिश की थी, लेकिन स्पेशल आफिसर के सामने वे हाजिर नहीं हुए गर्चे उन्हें सूचना दी गयी थी। इन केसेज को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जांच और रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। इन केसेज में रिलीफ क्या दिया जायगा, यह तय करने के लिए रिव्यू बोर्ड डिस्ट्रिक्ट आफिसर की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।